कार्मिक संबंध प्रभाग

मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

स्टाफ परिपत्र क्र.:6717

दिनांक: 29.12.2017

प्रति: सभी कार्यालय / शाखाएं

विषय- स्टाफ सदस्यों को क्लीन ओवरड्राफ्ट की सुविधा -परिचालन दिशानिर्देशों का पालन

- 1. शाखाओं/कार्यालयों का ध्यान स्टाफ परिपत्र क्र. 5902 दिनांक 05.09.2012 के माध्यम से स्टाफ सदस्यों के क्लीन ओवरड्राफ्ट की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें क्लीन ओवर ड्राफ्ट सुविधा के संबंध में शाखाओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले परिचालित दिशानिर्देश भी शामिल है. उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से परिचालित नियम एवं शर्तों में निम्नानुसार है.
 - ✓ सेवानिवृति की तिथि से पूर्ववर्ती 5वे साल से प्रतिवर्ष सीमा मंजूरी 10% कम हो जाएगी.
 - У प्रत्येक वर्ष ओवरड्राफ्ट सीमा में 10% की कमी 55वे वर्ष से मासिक आधार पर आरंभ की जाएगी. दूसरे शब्दों में प्रत्येक माह के आरंभ में परिचालन सीमा निर्धारित की जाएगी एवं खाते में आहरित राशि तथा प्रभारित ब्याज को मिलाकर परिचालन सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 - ✓ ओवरड्राफ्ट खाते में सीमा की 50% अथवा बकाया शेष, जो भी अधिक हो, संबंधित कर्मचारी के टर्मिनल लाभ में से वसूल की जाएगी.
- 2. तथापि, हमारे संज्ञान में यह आया है कि शाखाएं/कार्यालय उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं कर रही है. कई मामलों में उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन न होने के कारण स्टाफ क्लीन ओवरड्राफ्ट ऋण एनपीए में परिवर्तित हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए, हम पुनः उल्लेख करते हैं कि सभी संबंधित उपर्युक्त स्टाफ परिपत्रों के माध्यम से परिचालित योजना के नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक नोट करें.
- 3. योजना के किसी भी नियम एवं शर्तों के भंग होने को गंभीरता से लिया जाएगा एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी.

सभी से उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक नोट करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है.

महाप्रबंधक(मास)



Human Resource Department Employee Relation Division, Central Office

239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Staff Circular no.:6717

29th December 2017

To, All Branches /Offices,

Sub: Clean Overdraft Facility to Staff Members
- Adherence to operational guideilnes

- 1. Attention is invited to Staff Circular no. 5902 dated 05.09.2012 on Clean Overdraft to Staff members which also contains operational guidelines to be followed by the branches in respect of the clean overdraft facility. One of the terms and conditions mentioned vide the above Circular is as under:
 - ✓ The limits sanctioned will be reduced by 10% every year from the

 5th preceding year prior to the date of retirement.
 - The reduction in overdraft limit to the extent of 10% every year commencing from the 55th year onwards is to be done on monthly basis. (In other words, the operative limit is to be fixed at the beginning of every month and the drawings in the account including the monthly interest charged to the account should not exceed the operative limit.
 - √ 50% of the limit or the balance outstanding in the Overdraft Account, whichever is higher, will be recovered from terminal benefit of the employee concerned.
- 2. However, it has come to our notice that that branches/offices are not adhering to the above guidelines scrupulously. In many of the cases Staff Clean Overdraft loans are turning NPA due to non adherence of the above guidelines. In view of the same, we once again reiterate that all concerned should take careful note of the terms & conditions of the scheme as circulated vide the above Staff Circular.
- 3. Breach of any of the terms & conditions of the scheme will be viewed seriously and concerned official will be liable for appropriate action.

All are advised to take a careful note of the above and ensure compliance.

GENERAL MANAGER (HR)

8